विवरण – II

शिक्षा के विकेन्द्रीकृत प्रबंध पर गठित केंद्र समिति की मुख्य सिफारिशें :

1. पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद के स्तरों पर अलग से शिक्षा समितियां गठित की जाएं ।

2. पंचायत स्थाई समिति अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत प्रारंभिक शिशु देख-रेख और शिक्षा, गैर-औपचारिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण करेगी । यह पंचायत समिति से प्रत्यायोजित अधिकारों के अंतर्गत संयुक्त प्राथमिक स्कूलों का भी पर्यवेक्षण करेगी ।

3. पंचायत समिति की शिक्षा संबंध स्थाई समिति जिला परिषद के समग्र पर्यवेक्षण के अंतर्गत प्रौढ़ शिक्षा गैर औपचारिक शिक्षा प्रारंभिक शिशु देख-रेख और शिक्षा तथा उच्च प्राथमिक स्तर तक के पंचायती राज निकायों के स्कूलों के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होगी ।

4. जिला परिषद की शिक्षा संबंधी स्थाई समिति के अधिकारों में शामिल होगा–सरकार के दिशा-निर्देशों के अधीन स्टाफ की भर्ती और नियुक्ति करना तथा वेतन के भुगतान करने के साथ माध्यमिक स्तर तक के स्कूलों की स्थापना करना तथा उनका रखरखाव करना । माध्यमिक स्तर तक के सभी विद्यमान स्कूलों को जिला परिषद के नियंत्रणाधीन किया जाएगा । भविष्य में राज्य क्षेत्र में सभी माध्यमिक स्कूल केवल जिला परिषद द्वारा स्थापित किए जाएंगे । समिति सरकार के नियमों के अधीन सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए अनुदानों की भी व्यवस्था करेगी । यह माध्यमिक स्तर तक के प्राइवेट स्कूल सहित सभी स्कूलों का शैक्षिक पर्यवेक्षण भी करेगी ।

5. नगरपालिका क्षेत्रों के सरकारी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों को उनके स्टाफ समेत अलग-अलग नगर पालिकाओं को हस्तांतरित किया जा सकता है । स्टाफ की भर्ती को छोड़कर वे स्टाफ पर नियंत्रण रखेंगे । स्टाफ की भर्ती राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ नामोदिष्ट संगठन करेगा ।

6. इन निकायों को जो संस्थाएं हस्तांतरित की गई हैं उनके प्रबंधन के लिए राज्य सरकार इन्हें पर्याप्त अनुदान के साथ-साथ विकास अनुदान भी उपलब्ध कर सकती है ।

7. राज्य सरकार या राज्य स्तरीय एक उपयुक्त निकाय समग्र रूप में पर्यवेक्षण करेगा तथा शेष बचे अधिकार इसके पास रहेंगे ।

समान स्कूल प्रणाली संबंधी राम मूर्ति समिति

2939. **श्रीमती सुषमा स्वराज:**
श्री राम जेठमलानी:
श्री कृष्णलाल शर्मा:

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए समान स्कूल प्रणाली चालू करना आवश्यक है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि आचार्य राम मूर्ति समिति ने भी सिफारिश की थी कि केन्द्र देश में समान स्कूल प्रणाली लागू की जाये और इससे पूर्व वर्ष 1964–66 में डा० कोठारी आयोग ने भी इसकी सिफारिश की थी ;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि देश में वर्तमान स्कूल प्रणाली में भारी अन्तर है और इस प्रकार सभी नागरिक समान स्कूल शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार देश में चल रहे पब्लिक स्कूलों के लिए कोई नयी व्यवस्था कायम करेगी जिससे

इनमें गरीब और पिछड़े वर्ग के लोग भी आसानी से अपने सीमित साधनों से अपने बच्चों को शिक्षा दिला सकें ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा):

(क) से (ङ) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (रा०शि०नी०), 1986 में देश भर में सामान्य स्कूल प्रणाली आरम्भ करने की सिफारिश की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 की समीक्षा के लिए 1990 में सरकार द्वारा गठित राममूर्ति समिति ने देश भर में सामान्य स्कूल पद्धति आरम्भ करने के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में की गई सिफारिश को दोहराया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में यह भी सिफारिश की गई है कि एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की स्थापना की जाए, जिसमें प्रदत्त स्तर पर, किसी भी जाति, धर्म, स्थान अथवा लिंग के सभी छात्रों को एक तुलनात्मक कोटि की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। देश के सभी स्कूलों में स्तरों की व्यापक सामान्यतया को निम्नलिखित तरीकों से बरकरार रखा जाएगा :—

(i) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्रकाशित प्रारम्भिक तथा माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना के आधार पर तैयार किए गए विस्तृत समान पाठ्यक्रम/ पाठ्यपुस्तकों को सभी विद्यालयों में सुलभ कराना।

(ii) सभी स्कूलों द्वारा अपने छात्रों को सम्बद्ध राज्य बोर्ड, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अथवा भारतीय स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा परिषद् जैसी भी स्थिति हो, से सम्बद्ध बोर्ड परीक्षाओं के लिए भेजना तथा इस प्रकार राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना के आधार पर तैयार तथा सम्बद्ध बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम/ पाठ्यपुस्तकों का अनुसरण करना।

(iii) केन्द्र द्वारा प्रायोजित कई योजनाओं तथा कार्यक्रमों के माध्यम से स्कूलों में भौतिक सुविधाओं तथा अन्य शैक्षिक निवेशों में सुधार करना। इस समय देश के विभिन्न भागों में 346 नवोदय विद्यालय कार्य कर रहे हैं तथा गरीब एवं पिछड़े बच्चों की शैक्षिक जरूरतों को पूरा कर रहे हैं।

Universalisation of sports

2940. SHRI SANATAN BISI: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state.

(a) what are the steps being taken by Government to Universalise the Sports; and

(b) whether Government are taking any steps to provide nutritous food to the sports talents at the school level?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS) (SHRI MUKUL WASNIK): (a) To universalise sports, Government are taking the following steps:—

(i) Making Sports and Physical Education an essential and compulsory part of the academic syllabus from the primary stage upwards.

(ii) Creation of basic sports infrastructure and effective utilisation thereof.

(iii) providing young talented sportspersons with necessary training and competitive facilities both in schools and colleges.

(iv) Evolving a package of concessions and incentives to students pursuing sports in schools, colleges and universities.

(v) Ensuring easy and inexpensive availability of sports goods.

(vi Strengthening organisational pattern of rural sports tournament.